संख्या-43 /2018/1194/96-आयुष-2-2018-9(बी0)/2018

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी,
लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 29 मार्च, 2018

विषय- राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद सहारनपुर में 50 शैययायुक्त एकीकृत चिकित्सालय के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी सहारनपुर के पत्र संख्या-571/12-ए-भू0रा0 दिनांक 26/03/2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत जनपद सहारनपुर में 50 शैययायुक्त एकीकृत चिकित्सालय के निर्माण हेतु रू0 725.00 लाख (रूपये सात करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 265.00 लाख (रूपया दो करोड़ पैंसठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है-

1. विभाग द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।
2. विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
4. प्रायोजना का वित्त पोषण राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनान्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है।
5. प्रायोजना प्रस्ताव के सन्दर्भ में राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए रूप रेखा एवं प्रचालन दिशा निर्देश में 50 विस्तरों वाले

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एकीकृत अस्पताल के लिए भवन विशिष्टता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. प्रायोजना में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं कार्य मदें राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुरूप किया गया है, इसे मिशन निदेशक/विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत डी0जी0 सेट एवं स्पिलिट ए0सी0 की लागत का प्राविधान कोटेशन/बाजार दर पर किया गया है। चूकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नही होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम अनुभाग-2 के पत्र संख्या-एस0ओ0-540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 25-08-2017 एव पत्र संख्या-14/2017/552/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 29-08-2017 के अन्तर्गत जेम पोर्टल से रेट कान्ट्रैक्ट की दरों पर सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।
8. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी दिनांक 01-09-2015 की कुर्सी क्षेत्र दरों के आधार पर किया गया है। प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी मदें जो लोक निर्माण विभाग की अनुसूची दरों में सम्मिलित नहीं है, उन्हें प्रथमतया जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया जावें। यदि वांछित सामग्री जेम पोर्टल पर उपलब्ध नही होती है तो उन्हें बाजार/कोटेशन के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत क्रय किया जाय।
9. प्रत्येक निर्माण कार्यो में कार्य के पूर्व/कार्य के बाद की फोटोग्राफ साइट की फोटोग्राफ, निर्माणाधीन एवं कार्य समाप्ति पर पूर्ण भवन की डिजिटल फोटो को ई-परियोजना प्रबन्धन की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
10. प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो इस हेतु थर्ड पार्टी यथा (एच0बी0टी0यू0, कानपुर/एम0एम0एम0टी0यू0, गोरखपुर/ एम0एन0आई0आई0टी0 इलाहाबाद/आई0आई0टी0, रूडकी/आई0आई0टी0, कानपुर) से क्वालिटी जांच/ निरीक्षण अपने व्यय पर कराया जाय और उसकी जांच रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाय।
11. प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। मिशन निदेशक द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
12. सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निमार्ण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13. प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यो की द्विरावृत्त (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व मिशन निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

14. प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफलों में एकरूपता बनायी रखी जायेगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय राज्य आयुष सोसाइटी के बचत खाते में मिशन निदेशक राज्य आयुष सोसाइटी के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- उक्त कार्य दिनॉक 31 जनवरी, 2019 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

4- निदेशालय एवं संस्था के बीच एम0ओ0यू0 किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03-08-2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्र्तगत निर्गत किये जा रहें है ।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

संख्या-43/2018/1194 (1)/96-आयुष-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली।
3- वित्त प्रबन्धक, राज्य आयुष सोसाइटी उ0प्र0 लखनऊ
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0(पैकफेड)।
5- निदेशक, आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(लक्ष्मण सिंह)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in